मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

कमांक सी/ 3–4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त,08
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष,राजस्व मंडल, म.प्र.ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश ।

विषयः– शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बावत्।

संदर्भः– इस विभाग का ज्ञाप कमांक सी–3–7/2000/3/1 दिनांक 22.1. 07 कमांक सी–3–4/06/3/1 दिनांक 11.7.06 एवं 23.2.08 एवं वित्त विभाग का ज्ञाप कमांक 1035/896/07/नियम चार दिनांक 21.8. 07

संदर्भित पत्रों में उल्लेखित अनुकंपा नियुक्ति के निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार एकजाई निर्देश प्रसारित करता है :–

1–अनुकंपा नियुक्ति की परिस्थिति :–

निम्न परिस्थिति में अनुकंपा नियुक्ति दी जावेगी –
किसी शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर

2–अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता

2.1 दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी, अथवा पूर्णतः आश्रित पति को, अथवा

2.2 दिवंगत शासकीय सेवक का पुत्र,अथवा अविवाहित पुत्री अथवा ऐसी विवाहित पुत्री जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो अथवा जो तलाकशुदा हो, किन्तु शर्त यह होगी कि ऐसी अविवाहित,विवाहित अथवा तलाक शुदा पुत्री दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो; अथवा

2.3 अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता–पिता की अनुशंसा के आधार पर ।

2.4 एक से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के पात्र सदस्य होने पर दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी /पति की अनुशंसा एवं पति/पत्नी के न होने\पर परिवार के सर्वसम्मति से किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। परिवार में सहमति न होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यह निर्णय लिया जावेगा कि किसे अनुकंपा नियुक्ति दी जावे ।

3– अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता की शर्ते

3.1 दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का सदस्य अनुकंपा नियुक्ति हेतु तभी पात्र होगा जब शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता धारण करता हो।

3.2 शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 7 (सात) वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर ही उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी

3.3 सात वर्ष से अधिक अवधि से लापता कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त पर देय होगी कि संबंधित परिवार द्वारा कर्मचारी के लापता होने की पुलिस में एफ आई.आर.दर्ज की गई हो एवं पुलिस द्वारा कर्मचारी का कोई अता–पता नहीं होने का प्रतिवेदन दिया गया हो, 7 वर्ष की अवधि की गणना एफ.आई आर. दर्ज होने के दिनांक से की जावेगी

4– अनुकंपा नियुक्ति के लिये अपात्रता

निम्नलिखित स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगीः–

4.1 दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकंपा नियुक्ति का पात्र सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मंडल, परिषद्, आयोग आदि में नियोजित हो,

4.2 यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवावृद्धि /पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति के दौरान होती है ।

4.3 सार्वजनिक उपक्रम के मृत कर्मियों के परिवार के सदस्यों को शासन अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

4.4 केन्द्र शासन या किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा उसके स्वत्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी सार्वजनिक उपकम अथवा निगम/मंडल/ आयोग द्वारा पदच्युत व्यक्ति।

4.5 यदि दिवंगत शासकीय सेवक, प्रशिक्षु, तदर्थ अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया हो।

4.6 दिनांक 1.1.07 के पूर्व अस्वीकृत अथवा निराकृत प्रकरणों पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा ।

4.7 दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के बिन्दु कमांक 2.1 से 2.4 में दर्शाये पूर्णतः आश्रित सदस्य को छोडकर अन्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी ।

4.8 कार्यालय प्रमुख/नियुक्ति प्राधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे कि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार को वास्तव में तात्कालिक सहायता के रूप में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है ।

5—अनुकंपा नियुक्ति के पद

निम्न पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी :—

5.1 अनुकंपा नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा धारित योग्यता एवं अर्हता के आधार पर सीधी भर्ती के रिक्त निम्नतर पद पर दी जावेगी— यथा सहायक ग्रेड—3, संविदा शाला शिक्षक एवं रूपये 3500—5200 तक वेतनमान वाले अन्य कार्यपालिक पदों (लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र के पदों को छोडकर) पर भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी । इनमें वार्डबॉय,पटवारी वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन पजीयन लिपिक (कार्यपालिक) स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पद, ड्रायवर, तकनीकी पद भी शामिल है।

5.2 अनुकंपा नियुक्ति के अभ्यर्थियों को जेल विभाग में प्रहरी एवं आबकारी तथा परिवहन विभाग में आरक्षक के पद पर शारीरिक रूप से सक्षम होने एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता-धारण करने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी ।

5.3 यदि किसी पद के लिए अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलतापूर्वक प्रशिक्षण / परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें नियुक्ति दी जावेगी ।

5.4 तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति दी जाये ।

5.5. तृतीय श्रेणी की योग्यता न होने पर एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर पद की अर्हता होने पर सीधी भर्ती के रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पद पर दी जा सकेगी ।

6— अनुकंपा नियुक्ति के लिये आवश्यक अर्हतायें तथा शिथिलीकरण

6.1 मृतक शासकीय कर्मी के ऐसे आश्रित को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी, जिसने मध्यप्रदेश से बाहर की शैक्षणिक संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण कर, शैक्षणिक योग्यता धारित की हो।

6.2 वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक एल 17—7/94/ब—7/चार, दिनांक 30.9.94 द्वारा रिक्त पदों को केवल अतिशेष कर्मियों से भरने संबंधी निर्देश एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर स्वीकृत पदों में अतिशेष कर्मचारियों से भरती की शर्त अनुकंपा नियुक्ति के मामलो में लागू नहीं होगी, अर्थात् इन पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी ।

6.3 भरती नियमों में प्रावधानित चयन प्रक्रिया तथा रोजगार कार्यालय में पं[illegible] संबंधी शर्त से छूट रहेगी ।

6.4 अधिकतम आयु सीमा संबंधी शर्त मृतक शासकीय सेवक की पत्नी के मामले में पूर्णतः शिथिल रहेगी । साथ ही, मृतक शासकीय सेवक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में आठ वर्ष की छूट दी जाये।

6.5 दिवंगत शासकीय सेवक की धर्मपत्नी के लिए सहायक ग्रेड–3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं कंम्प्यूटर संचालन के ज्ञान के लिये तीन वर्ष का समय दिया जावेगा तथा अन्य आश्रितो के लिये एक वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई है ।

7–अवयस्क सदस्यों के संबंध में व्यवस्था

7.1 यदि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार में कोई पात्र व्यस्क सदस्य नहीं है तो शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 7 वर्ष तक की अवधि में वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी । इसके पश्चात यदि वह वयस्क होता है तो अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी

8– जिन विभागों /कार्यालयों में पद रिक्त है वहां प्रकिया

8.1 शासकीय विभागों /विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयों में पदों की उपलब्धता होने पर संबंधित नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी द्वारा,जिस जिले में जितने पद रिक्त है, उस जिले के कलेक्टर को अनुकंपा नियुक्ति के समसंख्यक (जितने पद रिक्त है) आवेदकों की जानकारी भेजने हेतु लिखा जावेगा।

8.2 इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित कलेक्टर द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के अभ्यार्थी के नाम पैरा 9.2 में दर्शाई गई वरिष्ठता एवं संबंधित पद की योग्यता अनुसार संबंधित विभाग/ विभागाध्यक्ष/कार्यालय को प्रेषित किये जायेगें ।

8.3 शासकीय अमले में आगामी 5 वर्षो में 30 प्रतिशत कमी करने की योजना के अंतर्गत जो पद समाप्त हो चुके है या किए जाना है, वे अनुकंपा नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होगें और केवल स्पष्ट रूप से रिक्त नियमित पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति की जायेगी । साथ ही, आरक्षण रोस्टर अनुसार संबंधित प्रवर्ग के रिक्त पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

9– अनुकंपा नियुक्ति की प्रकिया

9.1 अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र संलग्न परिशिष्ट –एक में दर्शाए प्रपत्र में उस कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, को प्रस्तुत किया जावेगा ।

9.2 अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे हेतु ऐसे आवेदकों की एक सूची कार्यालय / विभाग/कलेक्ट्रेट में बनाई जावेगी एवं **इसका क्रम दिवंगत शासकीय सेवक की** मृत्यु के दिनांक से किया जावेगा, अर्थात् जो शासकीय **सेवक पहले दिवंगत** हुआ है उसके आश्रितों को पहले नियुक्ति दी जावेगी । परन्तु यह कि अगर दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति

...5..

संबंधी प्रकरण में कोई जॉच विचाराधीन है तो उनके लिये पद सुरक्षित रखकर अन्य दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को उपरोक्तानुसार तैयार की गई सूची की वरीयता के अनुरूप नियुक्ति दी जा सकेगी ।

9.3 अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए वही अधिकारी सक्षम होगा जो सामान्य परिस्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, जैसा भी प्रकरण हो, के पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम हो या जैसा संबंधित भर्ती नियमों में प्रावधानित हो ।

9.4 अनुकंपा नियुक्ति यथासंभव उसी कार्यालय या विभाग में दी जावेगी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन के पूर्व नियोजित था।

9.5 यदि नियमित वेतनमान के पद उपलब्ध हो,तो मृतक शासकीय सेवक के आश्रितो के पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति नियमित पद पर ही दी जाये ।

9.6 यदि उस कार्यालय में, जिसमें कि दिवंगत शासकीय सेवक मृत्यु के पूर्व नियोजित था, अनुकंपा नियुक्ति हेतु कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो तो अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा । विभागाध्यक्ष अपने अधोनस्थ किसी भी जिले या कार्यालय में रिक्त पद पर पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति देगे।

9.7 यदि उस विभागाध्यक्ष में पद खाली नहीं है एवं उसी विभाग के अंतर्गत अन्य विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पद रिक्त होने पर संबंधित विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव रिक्ति वाले विभागाध्यक्ष को रिक्त पद पर पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दे सकेगे ।

9.8 यदि विभाग के किसी भी विभागाध्यक्ष या अन्य कार्यालयों में पद खाली न हो एवं दिवंगत परिवार ने पैरा 10.1 अनुसार कोई विकल्प नहीं दिया हो तो विभाग में पद रिक्त न होने का प्रमाण–पत्र देकर प्रकरण उस जिले के कलेक्टर को भेजा जावेगा जिस जिले में दिवंगत शासकीय सेवक मृत्यु पूर्व पदस्थ था ।

9.9 अनुकंपा नियुक्ति आवेदन प्राप्त होने से एक माह की समय–सीमा में उक्त बिन्दु कमांक 9.5 से 9.8 की कार्यवाही प्रत्येक विभाग सुनिश्चित करेंगे । वही प्रकिया वर्तमान में लंबित प्रकरणों के संबंध में भी अपनाई जावेगी ।

9.10 जिला कलेक्टर, इस प्रकार प्राप्त प्रकरणों को संकलित कर जिले के उन कार्यालयों को अग्रेषित करेंगे जहां अनुकंपा नियुक्ति के लिए नियमित पद उपलब्ध है । नियमित पद उपलब्ध होने पर अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी किया जायेगा । यदि नियमित पद उपलब्ध नहीं है तो आवेदक को इसकी सूचना दी जायेगी ताकि वह संविदा शाला शिक्षक के पद हेतु संबंधित कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सके ।

9.11 जिला कार्यालय में संविदा शाला शिक्षक के रिक्त पदों की अद्यतन सूची रखी जायेगी ।

...6..

9.12 यदि आवेदक संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति का इच्छुक है तो संबंधित जिले के कलेक्टर को आवेदन –पत्र प्रस्तुत कर सकेगा ।

9.13 कलेक्टर बिन्दु कमांक 9.12 में प्राप्त अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन –पत्र का सत्यापन उस कार्यालय प्रमुख /विभाग प्रमुख जहां दिवंगत शासकीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, से करवाएगा ।

9.14 सत्यापन उपरांत बिन्दु कमांक 9.11 में संधारित सूची में उपलब्ध रिक्त स्थानों में से आवेदक के चाहेनुसार स्थान पर नियुक्ति हेतु कलेक्टर संबंधित स्थानीय निकाय के नियुक्तिकर्ता अधिकारी को नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दे सकेगा।

9.15 बिन्दु कमांक 9.12 से 9.14 की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा एक माह में पूर्ण की जावेगी ।

9.16 संबधित नगरीय एवं ग्रामीण निकाय के नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा कलेक्टर से प्राप्त निर्देशानुसार अधिकतम एक माह में अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

10– <u>पद उपलब्ध न होने/संविदा शाला शिक्षक हेतु आवेदन न देने पर कार्यवाही</u>

10.1 अनुकंपा नियुक्ति हेतु नियमित पद रिक्त न होने एवं आवेदकों द्वारा संविदा शाला शिक्षक के पद पर आवेदन न देने अथवा संविदा शाला शिक्षक के रिक्त पद भी उपलब्ध न होने पर यदि इस आशय की लिखित सहमति दी जाती है कि दिवंगत शासकीय कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित, वेतन, अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर दिवंगत शासकीय सेवक के पति/पत्नी या उनके न होने पर परिवार के सदस्यों की सर्वसम्मति से नामांकित व्यक्ति को दिया जावे,तो इस प्रकार दिया जाने वाला अंतिम वेतन 05 (पांच) वर्षो तक अथवा दिवंगत शासकीय सेवक की अधिवार्षिक आयु पर सेवानिवृत्ति की अवधि तक जो भी पहिले हो, तक जारी रखा जावेगा। यह राशि संबंधित विभाग/ कार्यालय द्वारा वेतन मद से आहरित की जावेगी ।

10.2 इस अवधि (5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की अवधि) के पश्चात मृतक कर्मचारी के नामांकित सदस्य को नियमानुसार परिवार पेंशन की पात्रता होगी, परंतु अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी । परिवार पेंशन पर राहत देय नही होगी ।

10.3 बिन्दु कमांक 10.1 का यह लाभ तभी दिया जावेगा, जब मृतक का परिवार अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता रखता हो।

10.4 बिन्दु कमांक 10.1 का लाभ लेने वाले परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी ।

10.5 बिन्दु कमांक 10.1 अनुसार अंतिम आहरित वेतन की सहमति देने की स्थिति में प्रकरण तद्नुसार स्वीकृति हेतु कलेक्टर द्वारा संबंधित विभागाध्यक्ष /कार्यालय को जहां से अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन प्राप्त हुआ है, तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जावेगा ।

10.6 जिन प्रकरणों में आवेदकों की पात्रता केवल चतुर्थ श्रेणी की है उनमें इस श्रेणी के पद उपलब्ध न होने पर अथवा चतुर्थ श्रेणी की भी योग्यता नहीं होने पर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति के बदले एकमुश्त एक लाख रूपये की राशि संबंधित विभाग /कार्यालय द्वारा प्रदान की जाकर अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण निराकृत माना

जायगा यह राशि संबधित विभाग /कार्यालय द्वारा वेतन मद से आहरित की जावेगी

10.7 अनुकंपा नियुक्ति हेतु नियमित पद उपलब्ध न होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र न देने तथा बिन्दु कमांक 10.1एवं 10.2 अनुसार भी सहमति नहीं देने की स्थिति में उनके नियुक्ति संबंधी आवेदन व अंतिम वेतन प्राप्त करने का क्लेम, विभाग/कार्यालय द्वारा निरस्त कर प्रकरण निराकृत माने जावेगें ।

10.8 समस्त कलेक्टर द्वारा बिन्दु कमांक 10..7 के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन निरस्त किये जाने वाले प्रकरण संबंधित विभाग/कार्यालय को तत्काल भेजना सुनिश्चित करेंगें।

11—वचन —पत्र/शपथ पत्र

11.1 दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य पैरा –4 के अनुसार अपात्रता नहीं रखता है, इस बाबत् अनुकंपा नियुक्ति के आवेदक से शपथ–पत्र लिया जाए ।

11.2 दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति में आवेदक / आवेदिका से नियुक्ति के पूर्व इस आशय का एक वचन पत्र लिया जायेगा कि वह दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाये कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढग से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

12—कार्यभारित /आकस्मिकता एवं दैनिक वेतन भोगियों हेतु प्रावधानः

12.1 कार्यभारित /आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के दिवंगत होने पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी परन्तु उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को एकमुश्त रूपये एक लाख की राशि अनुकंपा अनुदान के नाम से दी जायेगी । उसमें ग्रच्युटी की राशि सम्मिलित नहीं होगी । इस राशि का भुगतान संबंधित विभाग के कार्यभारित /आकस्मिकता के मद के अर्न्तगत वेतन मद से किया जावेगा ।

13—अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :—

13.1 आवेदक को एक बार अनुकंपा नियुक्ति दिये के पश्चात किसी अन्य पद पर पुनः नियुक्ति नहीं दी जावेगी ।

13.2 अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं की जा सकेगी ।

13.3 नियुक्ति के पूर्व चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सकीय परीक्षण नियमानुसार कराया जावेगा परन्तु दिवंगत शासकीय सेवक की धर्मपत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामलों में नियुक्ति के पूर्व चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) कराने की शर्त

नहीं रहेगी । अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जावेगी कि नियुक्ति के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति शासकीय सेवा मे रखे जाने योग्य नही है,तो उसे दी गई अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

13.4 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी 3–7/2000/3/1 दिनांक 23 जुलाई, 2001 एवं दिनांक 22 नवंबर, 2002 द्वारा जारी निर्देश जहां साम्प्रदायिक दंगो में पीड़ित परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति देने से है, यथावत रहेंगे।

13.5 बैकलॉग पदो की सीधी भर्ती करने के पूर्व विभाग/कार्यालय यह सुनिश्चित करेगे कि जिन पदों पर बैकलॉग के पदों से सीधी भर्ती की प्रकिया जारी है उन पदों में अनुकंपा नियुक्ति योग्य पदों पर सर्वप्रथम अनुकंपा नियुक्ति के इन वर्गो के प्रकरणों पर विचार किया जावेगा । अनुकंपा नियुक्ति के इन वर्गो के प्रकरण समाप्त होने के पश्चात ही बैकलॉग पदो पर सीधी भर्ती की जा सकेगी ।

13.6 जिन विभागों में एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति के पद रिक्त है वे समस्त विभाग उनके अधीन रिक्त पदों पर इन निर्देशो के जारी होने के दिनांक से एक माह में अनिवार्य रूप से अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का इन निर्देशों के तहत निपटारा सुनिश्चित करेंगे ।

13.7 विभागों द्वारा प्रेषित एवं जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में जिला कलेक्टरों द्वारा एक माह की समय सीमा में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

13.8 किसी भी स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों में समय सीमा का पालन न करने या उनके निराकरण में लापरवाही करने की शिकायत प्राप्त होने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

18/8/04

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक सी–3–4/06/3/एक
प्रतिलिपि:–

भोपाल,दिनांक 19 अगस्त, 08

1. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय ,मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव,लोकायुक्त,मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5 राज्यपाल के सचिव,मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय,भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्य मंत्री,मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश,भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक ,मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्य प्रदेश,भोपाल
10. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल
11. अध्यक्ष,व्यावसायिक परीक्षा मंडल,मध्य प्रदेश,भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,खण्डपीठ इन्दौर/ ग्वालियर/जबलपुर ।
13. महालेखाकार,मध्य प्रदेश, ग्वालियर/ भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
15. उप सचिव/अवर सचिव,स्थापना/अधीक्षण /अभिलेख /मुख्य लेखाधिकारी मध्य प्रदेश,मंत्रालय भोपाल।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव,मंत्रालय भोपाल
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय,मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल।
19 अध्यक्ष,मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20 अध्यक्ष,शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल ।

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट –एक

अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. (क) दिवंगत शासकीय सेवक का पूर्ण नाम . ...
   (ख) पदनाम ....
   (ग) दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु का दिनांक..............................
   (घ) कार्यालय का नाम जहां मृत्यु पूर्व दिवंगत शासकीय सेवक पदस्थ था, ...

2. (क) आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम ....
   (ख) दिवंगत शासकीय सेवक से संबंध ....
   (ग) स्थाई पता ....
   (घ) वर्तमान पता ....
   (ङ.) जन्मतिथि...................... अंको में ....
   शब्दों में ....
   (च) आयु ....
   (छ) धर्म ....
   (ज) जाति (यदि अनुसूचित जाति /जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हो तो स्पष्ट रूप से दर्शाये) ....
   (झ) शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण ....
   (ञ) अन्य अर्हताओं का विवरण ....

3. (क) दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण एवं आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु सहमति:–

सक्र.	परिवार के सदस्यों के पूर्ण नाम	आयु	दिवंगत शासकीय सेवक के साथ संबंध	यदि सेवारत हो तो उसका विवरण सेवारत है शासकीय /अर्ध शासकीय या निजी सेवा	आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु परिवार के सदस्यों की सहमति/असहमति एवं हस्ताक्षर	टीप
1	2	3	4	5	6	7

घोषणा – पत्र

1. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है,यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी नियुक्ति के पूर्व या बाद में असत्य/गलत पायी जाती है अथवा नियुक्ति के पश्चात अपात्रता पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में प्रावधानित विधि एवं नियमों के अधीन मेरे द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा / रहूंगी ।

2. मैं यह भी वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं स्व.श्री .... (दिवंगत शासकीय सेवक का नाम) के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करूंगा /करूंगी, बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाए कि मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो मेरी अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

स्थानः–..........................

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है किः–

1. आवेदक/आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए सम्पूर्ण तथ्यों / विवरण की सूक्ष्मता से जांच कर ली गयी है ।

2. आवेदक/आवेदिका ने आश्रित परिवार तथा उनके रोजगार का जो विवरण दिया है उसका प्रमाणीकरण कर लिया गया है ।

3. मै पूर्ण जांचोपरांत इस बात से संतुष्ट हूँ कि आवेदक आवेदिका को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता आती है। आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति दी जाना उचित होगा ।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
(जहां दिवंगत शासकीय सेवक कार्यरत था)
नाम ....
कार्यालय का नाम ....
....

टीपः– आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वतः द्वारा अभिप्रमाणित छाया प्रतियॉ संलग्न की जावे :–

1. दिवंगत शासकीय सेवक का मृत्यु प्रमाण पत्र
2. शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताओं की अंक सूची /प्रमाण पत्र
3. जन्मतिथि का प्रमाण पत्र
4. मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी/मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र
5. यदि आवेदक अनुसूचित जाति /जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो तदविषयक प्रमाण पत्र

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462021

दूरभाष 0755–2583660 फेक्स 0755–2583651

ई–मेल dpimp@sancharnet.in

पृष्ठा.क्र./स्था.–4/सी/अनु.नियु./283/2008/1430 भोपाल, दिनांक 10-9-08

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सहायक संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश